न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी I.A.S.

प्रकरण संख्या – 03/2020 (अपील)
जीसीएमएस नं0–2020/00047

1. कलावती उर्फ कान्ती बाई पत्नी सत्यनारायण
2. सत्यनारायण पुत्र भैरूलाल
3. मनोहर लाल पुत्र भैरूलाल
   जाति कुल्मी पाटीदार, निवासीगण ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी

––अपीलाण्ट.

बनाम

शोभाराम पुत्र रामसुख जाति मेघवाल, निवासी ग्राम भावपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––रेस्पोडेन्टस.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बनाराजगी आदेश दिनांक 25.11.2019 न्यायालय तहसीलदार रामगजंमण्डी जिला कोटा,उनवानी मुकदमा शोभाराम बनाम कलावती बाई व अन्य अन्तर्गत धारा 251 रा0टी0ए0, प्रकरण संख्या 3/2018

उपस्थितः–

1. श्री बी0सी0 मालवीय, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक– 15/10/2024

1 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम जुल्मी में रास्ते के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 251 काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दिनांक 25.11.2019 को आदेश पारित किया है कि– "प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है । अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 3173, 317 उत्तरी मेर पर से प्रार्थी के आने जाने का रास्ता खुलासा करें तथा किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं करें । भू–अभिलेख निरक्षक /पटवारी हल्का को पालना हेतु तहरीर जारी हो।"

2. अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 27.12.2019 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया है कि रेस्पोडेन्ट शोभाराम के खाते की आराजी वाके ग्राम जुल्मी के खाता संख्या 1370 की खसरा नम्बर 1257 रकबा 0.02 हे0 व खसरा नम्बर 3184 रकबा 1.08 हे0 स्थित है पर आने जाने का रास्ता ग्राम जुल्मी खसरा नम्बर 3175 व 3150 की उत्तरी मेड पर कायम है जिसे अपीलांट्स द्वारा अवरूद्व कर देने पर रास्ता खुलासा किये जाने का आवेदन सरपंच ग्राम पंचायत जुल्मी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया । अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर रास्ता रोके जाने से स्पष्ट इन्कार किया तथा प्रार्थी के खेत का रास्ता अप्रार्थीगण के खोतों की मेड से होकर कभी नहीं रहा बल्कि प्रार्थी के खोत पर जाने का रास्ता ग्राम कुम्भकोट की खान के मलबे के टीने के पास से होकर जाना जाहि किया जो वैकल्पिक रास्ता है । ग्राम पंचायत जुल्मी के प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 5.3.2018 कोरम प्रस्ताव में खसरा सं0 3184 की भूमि का रास्ता खसरा नम्बर 3173,3150 की मेड से होना बताया है । खसरा नम्बर 3173 खातेदार कलावती बाई द्वारा क्रय की गयी है जिसके द्वारा रास्ते के उपभोग के सुखाचार में बाधा डाली है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई किये तथा बिना साक्ष्य लिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 रा0टी0एक्ट स्वीकार कर अपीलांट के खाते

जिला कलेक्टर
कोटा

की भूमि खसरा नम्बर 3173 व 3150 की उत्तरी मेड पर आने जाने का रास्ता कायम करने का आदेश पारित कर दिया । निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि न्याय एवं पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य व रेकार्ड के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थि है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पो0 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अनुपस्थिति दर्ज की जाकर उपस्थित विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र ग्राम पंचायत जुल्मी द्वारा दिनांक 5.3.2018 को पारित आदेश के आधार पर रास्ता कायम करने का आदेश पारित कर दिया गया जबकि अप्रार्थीगण अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का अपने खाते की भूमि खसरा नम्बर 3184 पर आने जाने का रास्ता कुम्भकोट की खान के मलबे के टीले के पास से होकर जाता है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी काफी समय से कर रहा है । अपीलांट के खाते की भूमि खसरा सं0 3173 व 3150 की उत्तरी मेड से प्रार्थी जाना चाहता है जहां पर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का कभी भी कोई रास्ता नहीं है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत किये आदेश पारित कर दिया है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एक तरफा है जिसमें अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया है । राजस्व रेकार्ड में भी अपीलांट के खाते की भूमि से रास्ता उपलब्ध नहीं दर्शाया गया है । केवल काल्पनिक रास्ता मानकर रास्ते की आज्ञा प्रदान कर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी त्रुटि की है । जबकि प्रार्थी के खेत पर जाने का रास्ता उपलब्ध है । जिससे होकर प्रार्थी अपने खाते की भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है लेकिन अपीलांट को नुकसान पहुंचाने एवं फसल को नष्ट करने के आशय से प्रार्थी रेस्पो0 जबरन अप्रार्थीगण अपीलांट के खाते की भूमि से नयारास्ता कायम करवाना चाहता है जो विधि के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.2019 को पारित आदेश की सत्यप्रति प्राप्त करने हेतु अपीलांट अत्यधिक बीमार होने के कारण समय पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका स्वस्थ होने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 23.12.2019 को आदेश की सत्यप्रति प्राप्त की गई । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.11.2019 निरस्त फरमावें ।

5. हमने वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया यह अपील तहसीलदार रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 25.11.2019 के विरूद्व दिनांक 27.12.2022 को लिमिटेशन की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है । जो मियाद सीमा अन्दर 30 दिवस में प्रस्तुत नहीं है किन्तु इतना विलम्ब भी नहीं होने से धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है ।

6. प्रार्थी रेस्पो0 की ग्राम जुल्मी के खसरा नम्बर 1257, 3184, भूमि पर आने जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर प्रार्थी रेस्पो0 के आवेदन पर जांच रिपोर्ट अनुसार लगभग 40 वर्षो से पूर्व से ही उक्त आराजी पर आने जाने का रास्ताख0नं0 3173, 3150 की मेर से होना बताया है जिसमें खसरा नम्बर 3150 के खातेदार को रास्ते बाबत कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु खसरा नम्बर 3173 की खातेदार अप्रार्थी अपीलांट कलावती द्वारा यह भूमि क्रय की गई है उससे पूर्व खातेदार द्वारा कभी रास्ता बाबत आपत्ति नहीं की है परन्तु अप्रार्थीया ने प्रार्थी रेस्पो0 के रास्ते की उपभोग में सुखाचार में बाधा डाली जाने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा खसरा नम्बर 3173, 317 की उत्तरी मेर पर से प्रार्थी के सुखाचार को ध्यान में रखते हुए रास्ता खुलासा कराने का आदेश दिया है, तहसीलदार द्वारा रास्ता खुलासा कराया है, नया रास्ता कायम नहीं किया है इस हेतु इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । अपील स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

6. परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2019 प्रार्थी रेस्पोडेन्टगण के सुखाचार को ध्यान में रखते हुए अपीलान्ट द्वारा बन्द किये गये रास्ते को खुलासा कराया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है ।

7. निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा